मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा सप्तम् सत्र

जुलाई, 2015 सत्र

बुधवार, दिनाँक 22 जुलाई, 2015

(31 आषाढ़, शक संवत् 1937)

[खण्ड- 7] [अंक- 3]

मध्यप्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनाँक 22 जुलाई, 2015

(31 आषाढ़, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.35 बजे समवेत हुई.

{ अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

श्री आरिफ अकील-- अध्यक्ष जी, हम लोग सुरक्षित रहेंगे आज?

अध्यक्ष महोदय-- आप हमेशा सुरक्षित हैं.

श्री आरिफ अकील-- जब हमारे नेता के साथ मारपीट हो रही है तो बाकी लोग कहाँ से सुरक्षित हो जाएँगे?

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ नरोत्तम मिश्र)-- अध्यक्ष जी, कैसी बातें कर देते हैं. अब नेता का अपमान करने का यह कौनसा तरीका है?..(व्यवधान)..

श्री बहादुर सिंह चौहान-- अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं....(व्यवधान)..विधान सभा में सरकार बहस के लिए तैयार है..(व्यवधान)..

डॉ नरोत्तम मिश्र-- क्या आप अपने नेता का अपमान नहीं कर रहे? ..(व्यवधान)..मारपीट हुई उन्होंने कहा?..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- नेता प्रतिपक्ष जी कुछ कहना चाहते हैं...(व्यवधान)..

डॉ नरोत्तम मिश्र-- उन्होंने कहा कि मारपीट हुई?..(व्यवधान)..

श्री आरिफ अकील-- कहा, मुक्का मारा..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- प्रतिपक्ष के नेता जी कुछ कहना चाहते हैं..(व्यवधान)..

श्री आरिफ अकील-- जब दिल चाहता है तब खड़े हो जाते हों...(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे संरक्षक हैं...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- प्रतिपक्ष के नेताजी कुछ कहना चाहते हैं..(व्यवधान)..

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)-- अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)..अध्यक्ष महोदय, आपकी...(व्यवधान)...

श्री रामनिवास रावत-- यह सदन में बोलने की परंपरा है, यह आचार है, यह आचरण है?..(व्यवधान)..

डॉ नरोत्तम मिश्र-- प्रश्नकाल को इस तरह से बाधित करने की परंपरा है?..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कृपया आप बैठ जाएँ...(व्यवधान)..

डॉ नरोत्तम मिश्र-- (XXX)..हमारी परंपराओं को तोड़ रहे हों और आप हमको आचरण सिखाओगे?..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- रावत जी, कृपया बैठ जाएँ...(व्यवधान)..

डॉ नरोत्तम मिश्र-- इन्होंने पूरे सदन की मान्य परंपराओं..(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- प्रतिपक्ष के नेताजी..(व्यवधान)...

डॉ नरोत्तम मिश्र-- मान्य परंपराओं को खंडित कर दिया...(व्यवधान)..और अब आप हमको आचरण सिखाओगे?

..(व्यवधान)..

10.37 बजे गर्भगृह में प्रवेश

बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण का व्यापम संबंधी पोस्टरनुमा एप्रिन पहन कर गर्भगृह में प्रवेश.

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्यगण द्वारा पोस्टरनुमा एप्रिन पहन कर गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया आप अपने स्थान पर जाइये. यह पहन कर यहाँ नहीं आ सकते...(व्यवधान)... अपने स्थान पर जाइये...(व्यवधान)कृपया अपने स्थान पर जाएँ और इसको उतार दें..(व्यवधान)..कृपया बैठें..(व्यवधान)..कृपया अपने स्थान पर बैठें

...(व्यवधान)..

10.38 बजे **तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न क्रमांक 1 श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह...(व्यवधान)..आप अपना प्रश्न करें.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह-- माननीय अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)..

(श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह अत्यधिक व्यवधान के कारण अपना प्रश्न नहीं कर सके)..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप अपने स्थान पर बैठ जाइये...(व्यवधान)..यह कुछ लिखा नहीं जाएगा...(व्यवधान)..आप बैठ जाइये. हो गया अब आप आपने नारे लगा लिए, अब आप बैठ जाएँ...(व्यवधान)..ये कुछ लिखा नहीं जाएगा...(व्यवधान)..आप बैठ जाएँ. प्रश्नकाल चलने दें...(व्यवधान)..श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह...(व्यवधान)...आप बैठ जाइये...(व्यवधान)..आप अपने स्थान पर जाएँ..(व्यवधान)..यह बात ठीक नहीं है. आप अपने स्थान पर जाएँ. आपके नारे हो गए अब बैठिए...(व्यवधान)..आप इस तरह से विधान सभा को बाधित नहीं कर सकते...(व्यवधान)..

(श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह अपनी बात कहते हुए अपने आसन से उठकर गर्भगृह की तरफ बढ़े तब संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र की समझाईश पर अपने आसन पर वापस गए)..

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाइये...(व्यवधान)..मैं बी एस पी के नेता से कहता हूँ आप अपने स्थान पर बैठें...(व्यवधान)...आप अपने स्थान पर बैठें...(व्यवधान)..इनसे तो बोलिए प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं..

.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय---सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित.

(10.40 बजे से 10.53 बजे तक अंतराल)

10.53 बजे विधानसभा पुनः समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय(डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्यगण एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला सदस्यणगण श्रीमती इमरती देवी, श्रीमती झूमा सोलंकी, श्रीमती सरस्वती सिंह एवं श्रीमती शकुन्तला खटीक गर्भगृह में अपनी बात कहते रहे एवं नारे लगाते रहे.)

अध्यक्ष महोदय--- आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं और प्रश्नकाल चलने दे.कृपा करके आप लोग बैठ जाएं....(व्यवधान)... मेरा बीएसपी के नेता एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार जी से अनुरोध है कि वह अपने दल के सदस्यों को बिठाये.

श्री आरिफ अकील--- और जो घटना हुई है उसकी निंदा तो करें ?

श्री रजनीश सिंह-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय--- यह बात ठीक नहीं है आप सभी पहले अपने स्थान पर बैठें तब ही तो बात होगी.प्रश्न क्रमांक 1 होने दीजिये, उनका भी अधिकार है बोलने का...(व्यवधान)...

इंजी. प्रदीप लारिया--- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल नहीं होने दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय--- आप अपने स्थान पर तो बैठे.

श्री आरिफ अकील-- जो घटना हुई है उसके बारे में क्या करें...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय--- माननीय बीएसपी के नेता जी से अनुरोध है कि वह अपने सदस्यों को उनके स्थान पर बिठाएं, ऐसे बात नहीं होगी.उनको उनका प्रश्न पूछने दें.

श्री रजनीश सिंह--- (XXX)...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय--- ऐसा नहीं है, आप कृपया बैठ जाएं. गर्भगृह से कोई बात नहीं सुनी जाएगी. जो भी बात करना है अपने स्थान पर जाकर करिये. यह बात ठीक नहीं है.आपसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठें...(व्यवधान)...सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं. जो भी बात करना है अपने स्थान से जाकर करें. जो नियत स्थान है वहाँ से बात करिये.

एक माननीय सदस्य--- इन्होंने बीएसपी वालों को मिला लिया है कि आज एप्रिन पहिनकर हमारे साथ हो जाइए....(व्यवधान)... यह एडजेस्टमेंट कैसा हुआ है आज.

अध्यक्ष महोदय--- कृपया अपने स्थान पर बैठें. आप सभी अपने स्थान पर जाएं.(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित.

(10.55 बजे से 11.37 बजे तक अंतराल)

11.37 बजे **विधानसभा पुन: समवेत हुई**

अध्यक्ष महोदय (डॉ सीताशरण शर्मा) पीठासीन हुए

रामनिवास रावत- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ सदस्यों के कृत्य के लिए निन्दा प्रस्ताव दिया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय – एक सूचना सुन लें पहले । उसके बाद में फिर ।

दिनांक 20 जुलाई, 2015 को मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा प्रश्नोत्तर प्रबंधन की ऑनलाईन प्रक्रिया से संबंद्ध मोबाईल एप्प का शुभारम्भ किया गया है। माननीय सदस्यगणो हेतु इस मोबाईल एप्प पर तारांकित प्रश्नों की शलाका, सदन की प्रत्येक बैठक दिवस को प्रश्नोत्तर सूची प्रतिदिन प्रातः 10.30 बजे से उपलब्ध होगी साथ ही प्रश्नों के संबंध में माननीय सदस्यों के नामवार,प्रश्न के क्रमांकवार, विभागवार एवं उत्तर देने हेतु प्रभारी मंत्रीवार जानकारी प्राप्त करने की भी इसमें सुविधा रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बैठक दिवस की दैनिक कार्य सूची एवं संक्षिप्त कार्य विवरण की जानकारी यथासमय उपलब्ध हो सकेगी।

माननीय सदस्यगण ई-विधान मोबाईल एप्प को अपने एंड्रायड मोबाईल अथवा टेबलेट में विधान सभा की वेबसाईट www.mpvidhansabha.nic.in पर दिये गए लिंक से डाउनलोड कर इस सुविधा का उपयोग कर सकते है।

माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए सत्रावधि में विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है जिसमें माननीय सदस्य मोबाईल एप्प,विधान सभा की वेबसाईट, स्वयं की विधान सभा द्वारा उपलब्ध कराई गयी ई-मेल आईडी के एक्टिवेशन संबंधी आवश्यक जानकारी और तकनीकी सहयोग ले सकते है।

आगामी शीतकालीन सत्र से माननीय सदस्यों द्वारा ऑनलाईन प्रश्न प्रेषण के लिये उनके ई-साईन आवश्यक होंगे इस हेतु सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने आधार नम्बर का पंजीयन भी उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में कराने का कष्ट करें जिससे उनके ई-साईन में इसका उपयोग हो सके।

डॉ गोविंद सिंह- ये तानाशाही नहीं चलेगी । पूरे मध्यप्रदेश में 18-18 घण्टे लाइट गायब है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय- आप सुन लीजिए ।

> आज दिनांक 22 जुलाई,2015 को अपरान्ह 1.00 से 2.30 बजे की अवधि में विधान सभा भवन स्थित ऑडिटोरियम में मध्यप्रदेश मेडीकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा **तम्बाकू सेवन निषेध** पर माननीय सदस्यों के लिये संवेदीकरण कार्यक्रम एवं मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 03 पोर्टल **पंचायत दपर्ण, मनरेगा सॉफ्ट एवं आवास सॉफ्ट** के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के उपरान्त माननीय सदस्यों के लिए सदन से लगी लॉबी में भोजन की व्यवस्था भी रहेगी।
>
> माननीय सदस्य कार्यक्रम एवं भोज में सादर आमंत्रित है।

एक बजे आडिटोरियम में आ जाएं आप । कार्यक्रम के उपरान्त भोजन भी है । अब बोलिए आप, क्या कहना है ।

डॉ गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, 20 लाख बचा रहे हैं आप. 20 लाख बचाने के लिए आप साल भर में आप प्रश्नोत्तरी नहीं देंगे । हमने लिखकर दिया है कि जैसे पहले प्रश्नोत्तरी सूची देते थे वैसे ही पूरी सूची दें ।

रामनिवास रावत- माननीय अध्यक्ष महोदय, निंदा प्रस्ताव दिया हुआ है ।

(बसपा के सदस्यगण गर्भगृह में अपनी बात कहते रहे ।)

अध्यक्ष महोदय -बसपा के सदस्यों को, बोल दिया है , आपसे बात हो गई है । कार्यवाही,करेंगे । उस बारे में भी आपको बता दिया है । आपसे कक्ष में बात हो गई है कृपया अपने स्थान पर बैठिए ।

11.40 बजे **नियम 267-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय- आज की कार्यसूची में उल्लेखित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं* सदन में पढ़ी हुई मानी जावेंगी—

1. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
2. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
3. श्री आरिफ अकील
4. श्री ठाकुरदास नागवंशी
5. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार
6. श्री अजय सिंह
7. श्री सुदर्शन गुप्ता
8. श्री बलवीर सिंह दण्डौतिया
9. श्री संजय शर्मा
10. श्रीमती ऊषा चौधरी
11. श्री संजय पाठक

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय,कांग्रेस के सदस्यों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए मैंने निन्दा प्रस्ताव दिया है.

अध्यक्ष महोदय—आपकी बात हो गयी है अभी आप बैठ जाएं(व्यवधान) इसके बाद भी मैंने आपसे कहा है कि एक बजे बात करेंगे. (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)—अध्यक्ष महोदय,आपने हमें बोलने की अनुमति दी थी.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप लोग ही नहीं सुनना चाह रहे हैं न.(व्यवधान) अभी मैंने पत्रों को पटल पर रखने के लिए वित्त मंत्री को बोला है. पहले एक तो चेप्टर पूरा हो जाने दें.

श्री रामनिवास रावत—आपकी मान्य परम्पराएं और व्यवस्थाएं हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप जरा धीरज रखें, पहले जिनको बुलाया है उनका हो जाए

11.41 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार –

(i) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त,
(ii) आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्रमांक-1),
(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्रमांक-2),
(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-3), तथा
(v) राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्रमांक-5), तथा

(ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं –

(i) क्रमांक एफ-ए-3-11-2015-1-पांच (19), दिनांक 31 मार्च, 2015,
(ii) क्रमांक एफ-ए-3-24-2015-1-पांच (23), दिनांक 15 मई, 2015 तथा
(iii) क्रमांक एफ ए3-10-2015-1-पांच (21), दिनांक 09 अप्रैल, 2015

वित्त मंत्री(श्री जयंत मलैया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं,

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार –

(i) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त,

(ii) आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्रमांक-1),

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्रमांक-2),

(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-3), तथा

(v) राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्रमांक-5), तथा

(ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं –

(i) क्रमांक एफ-ए-3-11-2015-1-पांच (19), दिनांक 31 मार्च, 2015,

(ii) क्रमांक एफ-ए-3-24-2015-1-पांच (23), दिनांक 15 मई, 2015 तथा

(iii) क्रमांक एफ ए3-10-2015-1-पांच (21), दिनांक 09 अप्रैल, 2015

पटल पर रखता हूं.

..व्यवधान..

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए हैं, निन्दा प्रस्ताव दिया हुआ है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—प्रतिपक्ष के नेता जी को बुलायेंगे.आप बैठ जाइये,प्रतिपक्ष के नेता जी कुछ कह रहे हैं.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय,आपने हमको बोलने की अनुमति दी थी.हम बोल लें.

अध्यक्ष महोदय—हां बोलिये.

(गर्भगृह में उपस्थित सदस्य श्री बलवीर सिंह दण्डौतिया जोर जोर से बोलने लगे)

श्री सत्यदेव कटारे—बलवीर सिंह जी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—श्री गोपाल भार्गव पढ़ें

(2) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद,भोपाल का वार्षिक रिपोर्ट(प्रशासकीय प्रतिवेदन) वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री(श्री गोपाल भार्गव)—

अध्यक्ष महोदय,

मैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की धारा 12 की उप धारा (3) (च) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल का वार्षिक रिपोर्ट (प्रशासकीय प्रतिवेदन) वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 पटल पर रखता हूं.

11.43 बजे **गर्भगृह में प्रवेश**

इंडियन नेशनल कांग्रेस केसदस्य श्री रामनिवास रावत द्वारा गर्भगृह् में प्रवेश

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य श्री रामनिवास रावत गर्भगृह् में आए और आसंदी से बोलने लगे)

अध्यक्ष महोदय-- कोई छूट नहीं है. वहां अव्यवस्था हो रही है. आप बैठिये. नेता प्रतिपक्ष को मैंने अलाऊ किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है अलाऊ. किया था न अलाऊ? आप वहां बैठ जाएं.

श्री सत्यदेव कटारे—रामनिवास रावत जी आ जाओ. अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि विधानसभा के कॉमन हॉल में जो आचरण हुआ वह निन्दा के योग्य है उसके लिए हमारे दल ने निन्दा प्रस्ताव दिया है. हमारी आपसे प्रार्थना है कि उस पर आपने क्या निर्णय लिया है.

अध्यक्ष महोदय-- आपकी बात आ गई. निर्णय बाद में देंगे.(व्यवधान)आपकी बात आ गई, अब आप जबर्दस्ती नहीं कर सकते.

पत्रों का पटल पर रखा जाना(क्रमश:)

(क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-2013 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां), तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के अधिनियम, 1980 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री(श्री गौरीशंकर बिसेन)--

अध्यक्ष महोदय,मैं,

(क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-2013 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां), तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के अधिनियम, 1980 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखता हूं.

...व्यवधान...

श्री सत्यदेव कटारे—(XXX)

अध्यक्ष महोदय—आपकी बात आ गयी. कुछ लिखा नहीं जाएगा जो हल्ला-गुल्ले में बात कही जा रही है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र—अध्यक्ष जी, जो उन्होंने बात कही है वह विलोपित कराइये.

(4) (क) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगत मर्यादित, भोपाल का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष एवं वर्ष 2010-2011 एवं 51वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-2012, तथा

(ख) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) –

अध्यक्ष महोदय, मैं,

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य, उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष एवं वर्ष 2010-2011 एवं 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-2012, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 पटल पर रखती हूं.

. . . व्यवधान . . .

श्री सत्यदेव कटारे – बाहर धक्का-मुक्की हो रही है और मूकदर्शक बनकर बैठे हैं.

अध्यक्ष महोदय -- आपकी बात आ गई है, अभी हमें उस पर निर्णय नहीं करना है आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम निर्णय यहां नहीं कर सकते. उस पर विचार करेंगे, अभी हम हां भी नहीं करेंगे और ना भी नहीं करेंगे.

. . . व्यवधान . . .

श्री कमलेश्वर पटेल – (XXX)

अध्यक्ष महोदय – दंडौतिया जी, उसका निर्णय एक बजे करेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे –(XXX).

. . . व्यवधान . . .

एक माननीय सदस्य – अध्यक्ष महोदय (XXX)

. . . व्यवधान . . .

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह –(XXX), आप चर्चा से भागते हो.

श्री सत्यदेव कटारे – (व्यवधान)... (XXX)

अध्यक्ष महोदय – आपके सम्मान की पूरी चिंता है.

गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य सर्वश्री सुंदरलाल तिवारी एवं यादवेन्द्र सिंह द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य सर्वश्री सुंदरलाल तिवारी एवं यादवेन्द्र सिंह गर्भगृह में आए)

पत्रों का पटल पर रखा जाना (क्रमश:)

(5) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) –

अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम् 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख)की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखता हूं.

(6) मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) – अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की कंडिका 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 पटल पर रखती हूँ.

अध्यक्ष महोदय – आप लोग सुनिये तो कोई प्रश्न उठा रहा है.

. . . व्यवधान . . .

श्री गोपाल भार्गव – अध्यक्ष महोदय, (XXX) यह घोर आपत्तिजनक है.

. . . व्यवधान . . .

अध्यक्ष महोदय – आप लोग बोलते ही रहेंगे तो कैसे निर्णय करेंगे. यहां से हम किसी को कुछ नहीं बोलने देंगे, आप लोग अपने-अपने स्थान पर जाइये. कुछ मर्यादाएं रखेंगे कि नहीं रखेंगे. राम निवास रावत जी, नेता प्रतिपक्ष ने जो मामला उठाया है वह सदन के अंदर की घटना नहीं है, सदन के बाहर की घटना है.

(7) (क) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014-2015,

(ख) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 एवं 2012-2013, तथा

(ग) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 (दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2013 तक)

राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण (श्री लालसिंह आर्य) –

अध्यक्ष महोदय,मैं,

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014-2015,

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 एवं 2012-2013, तथा

(ग) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 (दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2013 तक) पटल पर रखेंगे.

(8) मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए)

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) – अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83-बी की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखता हूँ.

(9) स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-37-2-2015-बीस-3, दिनांक 11 फरवरी, 2015

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा (श्री दीपक जोशी) –

अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक-23 सन् 1965) की धारा 27 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-37-2-2015-बीस-3 दिनांक 11 फरवरी, 2015 पटल पर रखता हूं.

एक माननीय सदस्य – माननीय अध्यक्ष महोदय, (XXX).

श्री गोपाल भार्गव – अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो आसंदी पर कटाक्ष किया गया कि (XXX) यह घोर आपत्तिजनक है और आसंदी का अपमान है.

अध्यक्ष महोदय – यह कार्यवाही से निकाल दें.

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—(XXX)

(XXX) – आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया.

11.50 बजे

ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय-आज की कार्यवाही में लिये गये ध्यानाकर्षण पढ़े हुए माने जायेंगे ध्यानाकर्षण देने वाले सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं –

1. श्री सुदर्शन गुप्ता,
2. श्री दुर्गालाल विजय,
3. डॉ.मोहन यादव,
4. श्री सुशील कुमार तिवारी.

(व्यवधान)

11.51 बजे **अनुपस्थिति की अनुज्ञा**

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को को विधान सभा के जुलाई,2015 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

अध्यक्ष महोदय- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-88 पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.) के सदस्य,श्री फुन्देलाल सिंह मार्को की ओर से मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 277(1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने जुलाई, 2015 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है.

उनका निवेदन इस प्रकार है—

“ दिनांक 20 जुलाई से 31 जुलाई,2015 तक विधान सभा के प्रस्तावित सत्र में स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रहूंगा.

क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक -88 पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.) के सदस्य,श्री फुन्देलाल सिंह मार्को को इस सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाये?

अनुज्ञा प्रदान की गई.

(व्यवधान)

11. 52 बजे **प्रतिवेदनों की प्रस्तुति**

(1) प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ एवं पंचम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन

श्री जयसिंह मरावी(सभापति)- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ एवं पंचम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं.

(2) लोकलेखा समिति का उन्नीसवां से अड़तालीसवां प्रतिवेदन

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (सभापति)- अध्यक्ष महोदय, मैं, लोकलेखा समिति का उन्नीसवां से अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं.

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 54वां से 65वां तक प्रतिवेदन

श्री केदारनाथ शुक्ल (सभापति)—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 54वां से 65वां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं.

(4) प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन

श्री गिरीश गौतम(सभापति)- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं.

(व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण के गर्भगृह में नारेबाजी करने पर.)

अध्यक्ष महोदय—ये कुछ भी लिखा नहीं जायेगा, ये नारे नहीं लिखे जायेंगे.

11.53 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय—आज की कार्यसूची में उल्लेखित याचिकाए पढ़ी हुई मानी जायेंगी.

याचिकाकर्ताओं के नाम हैं –

1. श्री दुर्गालाल विजय,
2. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार,
3. श्री शैलेन्द्र पटेल,
4. श्री शैलेन्द्र जैन,
5. श्री संजय शर्मा.

11.54 बजे

अध्यक्षीय व्यवस्था

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015), मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) एवं मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) का पुरःस्थापन एवं पारण

अध्यक्ष महोदय:- मैंने, मध्यप्रदेश **मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015), मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) एवं मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) की** महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा विचार में लिए जाने का निर्णय लिया है.

मैं, समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

11.55 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक,2015(क्रमांक 10 सन,2015) का पुरःस्थापन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक,2015

श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री (उच्च शिक्षा):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री (उच्च शिक्षा):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 का पुर:स्थापन करता हूं.

(2) मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक,2015(क्रमांक11,सन्2015) का पुरःस्थापन

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्र)-अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक,2015 के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन)और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक,2015 के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

डॉ.नरोत्तम मिश्र- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 का पुरःस्थापन करता हूं.

(3)मध्यप्रदेश वेट(संशोधन) विधेयक,2015 (क्रमांक 12 सन् 2015)का पुरःस्थापन

वित्त मंत्री(श्री जयंत मलैया)—अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश वेट(संशोधन)विधेयक, 2015 के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय-प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक,2015 के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री जयंत मलैया- अध्यक्ष महोदय, मैं ,मध्यप्रदेश वेट(संशोधन) विधेयक,2015 का पुरःस्थापन करता हूं.

(बहुजन समाज पार्टी एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भ गृह में नारेबाजी करते रहे)..

(व्यवधान)

(4)

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री जयंत मलैया, मंत्री (वित्त):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015** पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया, मंत्री (वित्त):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015** पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(व्यवधान)..

(5)

मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी(निवारण) विधेयक, 2015

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री (विधि और विधायी कार्य):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करती हूं कि मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री (विधि और विधायी कार्य):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करती हूं कि **मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015** पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(व्यवधान)..

(6)

मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक,2015

श्री बाबूलाल गौर, मंत्री (गृह):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015** पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 25 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 25 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री बाबूलाल गौर, मंत्री (गृह):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015** पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(व्यवधान)..

(7)

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक,2015

श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री (उच्च शिक्षा):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015** पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

(व्यवधान)..

समय 12.00 बजे.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उमाशंकर गुप्ता – अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महदोय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

8. मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ नरोत्तम मिश्र) – अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2015 पर विचार किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय – अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 19 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 19 इस विधेयक के अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2015 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

9. मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री जयंत मलैया) – अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक 2015 पर विचार किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय – अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अ धिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

वर्ष 2015-2016 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय :- अब, अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी. सदन की परम्परा के अनुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है.

अत: मैं, वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें। मैं, समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

श्री जयंत मलैया (वित्त मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75 तथा 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ हजार पांच सौ तिरासी करोड़, नवासी लाख, इकतालीस हजार, दौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होनें वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75 तथा 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ हजार पांच सौ तिरासी करोड़, नवासी लाख, इकतालीस हजार, दौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस एवं बहुजन पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारेबाजी की जाती रही ।)

12.05 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 (क्रमांक-8 सन् 2015) का पुरःस्थापन एवं पारण

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)-- अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 का पुरःस्थापन करता हूं ।

.. (व्यवधान)..

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ।

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

.. (व्यवधान)..

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 पारित किया जाये ।

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

12.07 बजे

वर्ष 1997-1998 की अधिकाई अनुदानों की मांगों का मतदान

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि :-

" दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 7, 20, 20, 21, 24, 27, 58, 61, 67 तथा 69 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो सौ तिरानवे करोड़, बानवे लाख, उनतालीस हजार, छः सौ बयासी रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाये । "

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि--

" दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 7, 20, 20, 21, 24, 27, 58, 61, 67 तथा 69 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो सौ तिरानवे करोड़, बानवे लाख, उनतालीस हजार, छः सौ बयासी रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाये । "

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

.. (व्यवधान)..

12.09 बजे

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015
का पुरःस्थापन एवं पारण

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)-- अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 का पुरःस्थापन करता हूं ।

श्री जयंत मलैया -- अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ।

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

(इंडियन नेश्नल कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में नारे बाजी करते रहे)

अध्यक्ष महोदय- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

अध्यक्ष महोदय --प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना

अध्यक्ष महोदय -प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्य प्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(इंडियन नेश्नल कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में नारे बाजी करते रहे)

12.11 बजे

प्रस्ताव

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने विषयक

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्रा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वर्तमान जुलाई 2015 के लिये नियत आवश्यक शासकीय कार्य एवं वित्तीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधानसभा प्रक्रिया संचालन नियमालवी के नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाये.''

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्तमान सत्र के लिये नियत आवश्यक शासकीय एवं वित्तीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं.

प्रश्न यह है कि ''सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाये''

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) – अध्यक्ष महोदय, आपकी तानाशाही के विरोध में, सरकार की तानाशाही के विरोध में हमारा दल विधान सभा के गर्भगृह में ही धरना देगा.

(इंडियन नेश्नल कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में नारे बाजी करते रहे)

12.12 बजे

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान "जन-गण-मन " का समूह गान

अध्यक्ष महोदय – अब जन-गण-मन राष्ट्रगान होगा. कृपया सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(सदन में राष्ट्रगान जन-गण-मन का समूह गान किया गया)

अध्यक्ष महोदय- सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित.

अपराह्न 12.13 बजे विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की गई.

भोपाल **भगवानदेव ईसरानी**

दिनांक 22 जुलाई, 2015 प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधानसभा.